श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2018 को सम्पन्न बाढ़ आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी में संधारित।

कार्यवाही

बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई और आवश्यक निदेश दिये गये–

1. **वर्षामापक यंत्र** :–

सर्वप्रथम वर्षामापक यंत्र के संबंध में उपस्थित अंचलाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गयी। उपस्थित अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्षामापक यंत्र सही ढंग से कार्यरत है। इसके द्वारा मापी गयी वर्षापात का प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारियों को ससमय भेजा जाता है। निदेशित किया गया कि सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी 08:30 बजे अपराह्न तक प्रति दिन का दैनिक वर्षापात प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध करायेंगे। इसका अनुपालन सभी अंचलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी)

2. **निःशक्त एवं गर्भवती महिलाओं की पहचान** :–

समीक्षा के दौरान अंचलाधिकारी, राजपुर, डुमरॉव, नावानगर, एवं चौंगाई द्वारा बताया गया कि निःशक्त महिलाओं की सूची के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पत्र दिया गया है, किन्तु उनसे अभी तक सूची अप्राप्त है। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि गर्भवती महिलाओं की सूची हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को स्मारित करें तथा स्मार पत्र की प्रति आपदा शाखा को प्राप्त कराये। निदेशित किया गया कि निःशक्त/गर्भवती महिलाओं की सूची दो दिनों के अन्दर सभी अंचलाधिकारी जिला आपदा शाखा को प्राप्त करायेंगे।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी)

3. **रिसोर्स भवनों/शरण स्थली की पहचान** :–

समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि बाढ़ आपदा के दौरान विस्थापित परिवारों के लिए शरण स्थली हेतु सरकारी भवनों/स्थलों का पहचान किया गया है सभी शरण स्थली का भौतिक सत्यापन करने का निदेश दिया गया तथा भौतिक सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन आपदा शाखा को प्राप्त कराने का निदेश दिया गया। साथ ही शरण स्थली भवन में किस ग्राम/टोला के बाढ़ आपदा प्रभावित परिवार को रखा जाएगा, इसे भी चिन्हित कर लिया गया है। सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि शरण स्थली से संबंधित विद्यालयों के रसोईयों का मोबाईल नं0 प्राप्त कर इसे संकलित कर लेना है ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित गति से सहाय्य कार्य किया जा सके।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

4. <u>लाईफ जैकेट की उपलब्धता</u> :–

लाईफ जैकेट की उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अपने यहां सभी लाईफ जैकेट को भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। सभी लाईफ जैकेट सुरक्षित बक्सा में रखा गया है। अंचलाधिकारियों से प्राप्त सूचना अनुसार बक्सर में 20, चौसा में 50, सिमरी में 45 एवं चक्की में 05 सही अवस्था में है। निदेशित किया गया कि पुनः एक बार जाकर लाईफ जैकेट भौतिक सत्यापन कर लिया जाय तथा सत्यापन प्रतिवेदन लिखित रूप से जिला आपदा शाखा को अविलम्ब प्राप्त करायेंगे।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

5. <u>पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता</u> :–

समीक्षा के उपरांत अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया गया कि सिमरी में 138, चौसा में 60, राजपुर में 58, चौंगाई में 20, केसठ में 14 एवं बक्सर 20 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध है। बैठक में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा सिमरी/चौसा को 200 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया साथ ही कैमूर से 2000 पॉलीथीन शीट्स उधार मंगाने का निदेश दिया गया। सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पॉलीथीन शीट्स की अधियाचना आपदा विभाग को भेजे, ताकि अधियाचना के अनुरूप पॉलीथीन शीट्स क्रया किया जा सके।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

6. <u>नावों की उपलब्धता</u> :–

समीक्षा के दौरान सभी अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि नावों का भौतिक सत्यान हो चूका है तथा वह ठीक स्थिति में है। अंचलाधिकारी, चौसा द्वारा बताया गया कि उनका 09 नाव कवलदह पोखरा में रखा गया है। इसके साथ ही सभी नावों का निबंधन एवं फिटनेस प्राप्त करना है। बक्सर में 42 में 22 निबंधित है, चौसा में 39 में 09 निबंधित है, इटाढ़ी में 02 उपलब्ध है। अंचधिकारी, चौसा एवं सिमरी द्वारा बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर को पत्र भेजा गया है। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी नावों का निबंधन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना निबंधन के चलने वाले नावों के लिए संबंधित अंचलाधिकारी जिम्मेवार होगें।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी)

7. <u>टेंट एवं जी0पी0एस0 सेट</u> :–

अंचलाधिकारी, सिमरी द्वारा बताया गया कि 80 टेंट उनके कार्यालय के पत्रांक– 1017 दिनांक 15.10.2013 द्वारा मध्यपुरा भेजना गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि आपदा शाखा को इस संबंध में एक प्रतिवेदन प्राप्त करा दें। अंचलाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि बक्सर अंचल में आपदा गोदाम में कुछ टेंट रखे हुए है। इन रखे हुए टेंटों का भौतिक सत्यापन करने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा दिया गया। अंचलाधिकारी, चौसा के द्वारा बताया गया कि जी0पी0एस0 सेट प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के वाहन में लगाया गया है। निदेशित किया गया कि सभी जी0पी0एस सेट का सत्यापन कर प्रतिवेदन आपदा शाखा को प्राप्त कराये।

(अनु0:– सभीअंचल अधिकारी)

8. <u>गोताखोर</u> :–

समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि नावानगर में 10, इटाढ़ी में 10, डुमरॉव में 10, राजपुर में 06, सिमरी में 07, बक्सर में 11 एवं चौसा में 12 तथा अनुमण्डल बक्सर में 04 खोताखोर उपलब्ध है। सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी गोताखोरों का मोबाईल नं0 प्राप्त कर ले तथा आई0 कार्ड एवं कैप निर्गत करावें। ब्रह्मपुर शिव मन्दिर/प्रमुख मन्दिरों में प्रतिनियुक्त गोताखोर का 8–8 घण्टे का रोस्टर बनाने का निदेश दिया गया। साथ ही 1–8 का गृहरक्षक का प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया एवं सी0सी0टी0वी कैमरा लगाने का निदेश दिया गया।

(अनु0: सभी अंचल अधिकारी)

9. <u>बाढ़ निरोधक कार्य</u> :–

बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर द्वारा बताया गया कि गंगा नदी का खतरा जल स्तर 60.32 एवं चेतावनी का जल स्तर 59.51 है तथा गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि 25000 बालू भरा बोरा उपलब्ध है। 47000 सी0एफ0टी0 बालू उपलब्ध है, 1,67,958 खाली बोरा उपलब्ध है एवं 17,103 नायलोन किट उपलब्ध है। बक्सर कोईलवर तटबंध पर गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर ली गयी है। बाढ़ प्रवण अंचलाधिकरियों को निदेशित किया गया कि बांध की निगरानी पर विशेष घ्यान दे तथा हो रही भारी बारिश से जमा पानी को खाली करावें। नैनीजोर के पीपापुल का कार्य फिलहाल बंद करा देना है।

(अनु0:– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ प्रवण अंचल अधिकारी)

10. <u>दवा की उपलब्धता</u>:– बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन, बक्सर द्वारा बताया गया कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर कुत्ता काटने, सांप काटने एवं हैलोजन टेबलेट, डी0डी0टी0, बिलिचिंग पाउडर, ओ0आर0एस0 घोल आदि दावाऐं उपलब्ध है। निदेशित किया गया कि उपलब्ध दवाओं का पूर्ण ब्यौरा जिला आपदा शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

(अनु0:– सिविल सर्जन)

11. <u>पशु चारा एवं पशु दवा की उपलब्धता</u> :– जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चारा का दर प्राप्त हो गया है। इसे स्वीकृति हेतु आयुक्त, पटना प्रमण्डल पटना को भेजा गया है। पशु से संबंधित सभी प्रकार की दवा उपलब्ध है। इनके द्वारा बताया गया कि सारा भण्डरण का स्थल चिन्हित कर दिया गया है।

(अनु0:– जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर)

12 <u>पी0एच0ई0डी0</u> :–बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बक्सर द्वारा बताया गया कि मरम्मती हेत सभी चापाकलों की मरम्मती से संबंधित सूची सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के मेल पर डाल दिया गया है। निदेशित किया कि मोबाईल नं0– 8544428573 पर इस संबंध में सम्पर्क कर चापाकलों की मरम्मती कराना सभी अंचल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0:– सभी अंचल अधिकारी)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

R. 08/08/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 03-2353 /रा0 दिनांक 09/08/2018।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर / जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर / कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बक्सर एवं डुमरॉव / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर / सिविल सर्जन, बक्सर / सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

R. 08/08/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर